प्राचार्य का कार्यालय, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय ।

ज्ञापांक– / दिनांक–

आउट सोर्सिग के आधार पर सुरक्षा प्रहरी, सफाई कर्मी, बागवानी कर्मी एवं कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रण की सूचना

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या–994(1) दिनांक–26/7/2016 के निदेशानुसार बिहार वित्त संशोधन (नियमावली)–2005 के नियम 131–त्र के आलोक में दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय के विभिन्न विभागों, पुरूष एवं महिला छात्रावासों आदि में आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा प्रहरी, सफाई कर्मी, बागवानी कर्मी, कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुभवी एवं नियमानुसार निबंधित एजेंसी जिनके द्वारा कम से कम दो/तीन महाविधालयों/प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मियों का सेवा देने का कार्य किया हो तथा सुरक्षा प्रहरी, सफाई कर्मी, बागवानी कर्मी, कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवा प्रदान की गई हो तथा नीचे लिखे शर्त्तो का अनुपालन करते हो से मुहरबंद निविदा निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर आमंत्रित की जाती है । उक्त तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई निविदा स्वीकार्य नहीं होगा ।

बिहार सरकार, गृह(विशेष) विभाग, पटना के पत्रांक–8809 दिनांक–11/8/2015 के आलोक में सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा प्रहरी/सफाई कर्मी की सेवा उपलब्ध करानी है ।

प्रत्येक आउटसोंसिंग सेवा अर्थात् सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, बागवानी कर्मी तथा कम्प्युटर ऑपरेटर के लिए अलग–अलग निविदा करना होगा तथा प्रत्येक टंकित निविदा प्रपत्र दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में होगी, जिसमें एक पर तकनीकी निविदा (लिफाफा–A) एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा (लिफाफा–B) अंकित होगा । दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफों में मुहबंद कर उसके उपर सेवा का प्रकार अर्थात् सुरक्षा कर्मी हेतु निविदा, सफाई कर्मी हेतु निविदा, बागवानी कर्मी हेतु निविदा तथा कम्प्युटर ऑपरेटर हेतु निविदा अंकित करते हुए अलग–अलग प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय के पते पर निबंधित/स्पीडपोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा । हॉथो हॉथ किसी प्रकार का निविदा स्वीकार्य नहीं होगा । प्रत्येक निविदा के साथ तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग होगा अन्यथा निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा ।

तकनिकी निविदा के साथ निम्नलिखित छाया प्रति कागजात जो उपरोक्त अलग–अलग सेवा के लिए लागू हो को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक से अभिप्रमाणित कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

1–एजेन्सी/अभिकरण के पास नियंत्री पदाधिकारी–सह–सचिव गृह(विशेष) विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत वैध अनुज्ञप्ति हो । अनुज्ञप्ति की वैधता तीन वर्षो के लिए हो । अनुज्ञप्ति में यह भी उल्लिखित हो कि अभिकरण को राज्य के किन–किन जिलों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

2–न्यूनतम दो/तीन महाविधालयों/प्रतिष्ठानों में कम से कम 50 कर्मियों का वर्णित सेवा प्रदान करने का अभिप्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें ।

3– प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेज/नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा कि एजेन्सी को भारत सरकार, या किसी राज्य सरकार अथवा किसी भी प्रतिष्ठानों द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है तथा उस एजेन्सी पर कोई कानूनी/दण्डात्मक कार्रवाई नहीं चल रहा है ।

4–श्रम विभाग द्वारा निर्गत लेवर लाईसेंस/निबंधन की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नक करें ।

5–सर्विस टैक्स निबंधन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ।

6–पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ।

7–ई0पी0एफ0 निबंधन की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ।

8–ई0एस0आई0सी0 निबंधन की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ।

9–अधतन आयकर कटौती प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ।

10–अग्रधन के रूप में उपरोक्त प्रत्येक सेवा हेतु अलग–अलग 5000/–(पॉच हजार रूपये) प्रति सेवा/निविदा के लिए दरभंगा प्रधान डाक घर द्वारा निर्गत एन0एस0सी0 जो प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय के नाम से भुगतेय हो अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।

11–वित्तीय निविदा (लिफाफा–B) में प्रत्येक उपरोक्त सेवा हेतु अलग–अलग निम्नलिखित प्रपत्र में केवल कर्मियों के श्रेणी के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक का मासिक दर एवं कम्पनी का कमीशन का उल्लेख करना है । नियमतः ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 का भुगतान देय होगा इसलिए निम्नलिखित प्रपत्र में ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 का उल्लेख नहीं करना है ।

कृ0पृ0उ0

Sl. No.	Particulars	Minimum Wages as per govt. rules. (A)	Agency's Commission (B)	Total Amount in Figure (A+B)	Total Amount in words (A+B)
1	Highly Skilled				
2	Skilled				
3	Semi Skilled				
4	Un Skilled				
5	Supervisor				

12–निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के बाद दूसरे अथवा कार्य दिवस को 12.30 बजे दिन को प्राचार्य कक्ष में क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी । यदि उपरोक्त तिथि को सरकारी अवकाश घोषित है अथवा होगा तो अवकाश के अगले दिन निविदा खोली जायेगी, इसके लिए कोई अलग से निविदादाताओं को सूचना नहीं दी जायेगी । निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त तिथि को उपस्थित रह सकते है, यदि कोई निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त बैठक में उपस्थित नहीं होगें तो भविष्य में उनके शिकायत आदि पर विचार नहीं किया जायेगा । तकनिकी निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में संबंधित एजेन्सी का वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी । निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना सूचना पट के माध्यम से दिया जायेगा ना कि किसी फर्म के नाम से भेजा जायेगा ।

13–चयनित निविदादाताओं को कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर Performance Security के तौर पर 50000/– (पचास हजार रूपये) का दरभंगा प्रधान डाक घर, दरभंगा द्वारा निर्गत एन0एस0सी0 प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविधालय, लहेरियासराय के नाम से भुगतेय हो जमा करना अनिवार्य होगा जो संविदा अवधि के समाप्ति के बाद वापस किया जायेगा ।

14– निविदादाताओं को श्रम विभाग, भारत सरकार के नियमानुसार न्यूनतम उम्र एक्ट 1948, लेवर एक्ट 1970 एवं सुरक्षा गार्ड रेगुलेशन एक्ट 1981 साथ ही समय समय पर निर्गत निदेश का पालन करना अनिवार्य होगा ।

15– निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों को अवकाश में जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर कर्मी को शीघ्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुपस्थित कर्मी को देय मानदेय का भुगतान काट कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा ।

16–निविदादाताओं को अपने कर्मी को समय–समय पर नियमानुसार वर्दी, मोबाईल, टॉर्च, बैटरी,छाता आदि के साथ–साथ पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा , जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान अधोहस्ताक्षरी द्वारा देय नहीं होगा ।

17–निविदादाताओं को यह शपथ–पत्र देना होगा कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कर्मी शारीरिक एवं मानसिक रूप से दुरूस्त है तथा अपने–अपने कार्य करने में सक्षम एवं प्रशिक्षित है साथ ही वे कार्य अवधि में शिष्टचार का पालन करेंगें ।

18–एजेन्सी द्वारा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष का कर्मी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । वाह्य श्रोतों से केवल वैसे कम्प्युटर ऑपरेटर को कार्य पर लिया जायेगा, जिनके पास कम से कम एक वर्ष का कम्प्युटर ऑपरेटर का अनुभव प्रमाण–पत्र हो तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण का ज्ञान हो साथ ही कम्प्युटर ऑपरेटर का एक वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण–पत्र हो ।

19–एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मी द्वारा यदि गलत आचरण अथवा चोरी अथवा किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य किया जायेगा तो अधोहस्ताक्षरी उस कर्मी के साथ–साथ एजेन्सी पर कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा ।

20–एजेन्सी को भुगतान करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित अन्य करों, इन्कम टैक्स आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी ।

21–एजेन्सी द्वारा अपने कर्मी को नियमतः मासिक वेतनादि का भुगतान ससमय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर करना अनिवार्य होगा ।

22– एजेन्सी द्वारा यह शपथ–पत्र देना होगा कि उनके द्वारा निविदा में जो भी सूचना दी गई है वह सही है यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई त्रृटि पायी जाती है तो उनका टेन्डर रद्द करते हुए उन पर उचित/कानूनी कार्रवाई करने के लिए कॉलेज प्रशासन स्वतंत्र होगी ।

क्र0पृ0उ0

23–निविदादाताओं द्वारा समर्पित कागजातों पर हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, साथ ही सभी तकनिकी एवं वित्तीय निविदा पर पेज नम्बर अंकित करते हुए सभी कागजातों का विवरण प्रथम पेज पर देना होगा ।
24–अपूर्ण निविदा या किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है । कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में चयनित एजेन्सी को मुक्त कर दिया जायेगा ।
25–किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र जिला स्तर पर दरभंगा राज्य स्तर पर पटना उच्च न्यायालय होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट : www.darbhangamedicalcollege.in पर देखा जा सकता है ।

ह0/–
प्राचार्य,
दरभंगा चिकित्सा महाविधालय,
लहेरियासराय।

ज्ञापांक– 3515 /लहेरियासराय,दिनांक– 7/6/2017

प्रतिलिपिः–आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/ जिलापदाधिकारी, दरभंगा/ महाप्रबंधक, जिला उध्योग ईकाई, दरभंगा/ जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, दरभंगा / वाणिज्यकर पदाधिकारी, दरभंगा/जिला लेखा पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षक,दरभंगा चिकित्सा महाविधालय अस्पताल,दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–कार्यालय के लेखाशाखा,दरभंगा चिकित्सा महाविधालय को सूचनार्थ प्रेषित।
एक प्रति कार्यालय के सूचना पट एवं वेवसाईट– **www.darbhangamedicalcollege.in** पर देने हेतु ।

7/6/17
प्राचार्य,
दरभंगा चिकित्सा महाविधालय,
लहेरियासराय।